



**Madan Mohan Malaviya University of Technology,  
Gorakhpur-273010 (U.P.) – India**

### **TESTING & CONSULTANCY RULES 2020**

- 1.1** Madan Mohan Malaviya University of Technology (MMMUT), Gorakhpur is continuously engaged in encouraging the research and consultancy works along with the strong academic activities. Research and consultancy activities enhance the infrastructure and generate the revenue for the development of the University. These will be herewith called the Testing and Consultancy Rules of Madan Mohan Malaviya University of Technology (MMMUT) Gorakhpur. These rules will come into effect from the date of approval by the Competent Authority and will render all other Testing and Consultancy Rules ineffective which remained in force till such a date.
- 1.2** In these rules, the Head of University means Vice-Chancellor of MMMUT. Vice Chancellor may designate the Dean of Research & Consultancy (DORC) or some other Dean for taking decision on the issues related to testing and consultancy. In such a case, the role defined for DORC shall be executed by the designated Dean.
- 1.3** All the members of the academic staff of the University shall be encouraged to engage themselves in research and consultancy services to such an extent that it does not interfere with the discharge of their academic duties. Attempts should also be made to involve the research/ post graduate students in such works. The technical staff of the University having Ph.D degree and expertise in the related field will also be permitted to undertake consultancy job as co-investigator. All consultancies, whether carried out by an individual or a group of faculty members irrespective of the quantum of facilities of the University availed, will be considered as University Consultancy. Each consultancy project will be the responsibility of the person concerned for its correctness, validity, accuracy, etc .
- 1.4** The consultancy may involve, but not limited to,
- (a) Visit to actual sites of workplace of organization, Institutions, Industries, entrepreneurs, and other external agencies to assess the nature and magnitude of the problem faced and technical services required.
  - (b) Rendering expert advice and /or services in terms of materials, design, process, product, project, fabrication, investigation, expert opinion, remedial measures etc.
  - (c) Surveying of land, traffic, infrastructure, market, plant and machinery, techno-economic feasibility, damages, environment, pollutants, wastes etc;
  - (d) Undertaking project, investigation and/or research work in connection to (b) and (c) as above.

*[Signature]*

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 26 जून, 2020 को पूर्वान्ह 11.30 बजे विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयन्ती सभागार में सम्पन्न हुयी बैठक 2020/03 (संख्या सताईसवीं) की कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही:-

1. प्रो० श्री निवास सिंह, - अध्यक्ष  
कुलपति,  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
2. प्रो० राम अचल सिंह, - सदस्य  
पूर्व कुलपति, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,  
अयोध्या (राज्य सरकार नामिती)
3. प्रो० राम लखन सिंह, - सदस्य \*  
आचार्य, जीव रसायन विज्ञान विभाग,  
राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,  
अयोध्या (राज्य सरकार नामिती)
4. प्रो० जय प्रकाश लाल, - सदस्य \*  
विशिष्ट प्रोफेसर (आजीवन) कृषि विज्ञान संस्थान  
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी  
(राज्य सरकार नामिती)
5. प्रो० डी०के० सिंह, - सदस्य  
आचार्य, यांत्रिक अभियंत्रण विभाग,  
म०मो०मा० प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर (राज्य सरकार नामिती)
6. प्रो० एस०के० श्रीवास्तव, - सदस्य  
आचार्य, यांत्रिक अभियंत्रण विभाग,  
म०मो०मा० प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर (राज्य सरकार नामिती)
7. प्रो० राकेश कुमार - सदस्य  
अधिष्ठाता, छात्र मामले,  
म०मो०मा० प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर (राज्य सरकार द्वारा नामित)
8. प्रो० एस०के० सोनी, - सदस्य  
अधिष्ठाता, शोध एवं परामर्श,  
म०मो०मा० प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर (राज्य सरकार नामिती)

2020/03.03 विश्वविद्यालय की प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 02.03.2020 को सम्पन्न हुयी 2020/02 बैठक संख्या छब्बीसवीं के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2020 को सम्पन्न हुयी 2020/02 बैठक (संख्या छब्बीसवीं) के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2020/03.04 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 02.03.2020 को सम्पन्न हुयी 2020/02 बैठक संख्या छब्बीसवीं में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित किए जाने का विवरण।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 02 मार्च, 2020 को सम्पन्न हुयी 2020/02 बैठक (संख्या छब्बीसवीं) में लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित किये जाने के विवरण से अवगत हुयी।

2020/03.05 विश्वविद्यालय के विद्या परिषद की दिनांक 19.06.2020 को सम्पन्न हुयी 2020/02 बैठक संख्या बीसवीं की कार्यवृत्त पर अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के विद्या परिषद की दिनांक 19.06.2020 को सम्पन्न हुयी 2020/02 बैठक संख्या बीसवीं बैठक में लिए गए निर्णय के मुख्य विन्दुओं से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अवगत होने के उपरान्त विद्या परिषद की कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2020/03.06 विश्वविद्यालय के वित्त समिति की दिनांक 26.06.2020 को सम्पन्न हुयी 2020/03 बैठक संख्या उन्नीसवीं के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त समिति की दिनांक 26 जून, 2020 को सम्पन्न हुयी 2020/03 बैठक संख्या उन्नीसवीं में लिए गए निर्णय के मुख्य विन्दुओं से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अवगत होने के उपरान्त वित्त समिति की कार्यवृत्त (संलग्नक-1) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2020/03.07 विश्वविद्यालय की नयी परामर्श सेवाओं(Consultancy Services) हेतु नियमावली बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय की नयी परामर्श सेवाओं (Consultancy Services) हेतु नियमावली बनाये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2020/03.08 विश्वविद्यालय की Regular Ph.D. सीटों की संख्या बढ़ाने तथा Part-Time Ph.D. के नियमों में सुधार किये जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय की Regular Ph.D. सीटों की संख्या बढ़ाने तथा Part-Time Ph.D. के नियमों में सुधार करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं प्रबन्ध बोर्ड ने जो पीएच0 डी0 अभ्यर्थी, थ्योरी एवं प्रेक्टिकल दोनों को




3. प्रबन्ध बोर्ड द्वारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर और The Class of 1994 (the former student of Bachelor of Engineering programme graduated from MMMEC in 1994) के मध्य हुए समझौता करार (संलग्नक-2) को अनुमति प्रदान करते हुए 6 "Class of 1994 Gold Medal" देने का निर्णय लिया गया।

4. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम 12.4 एकड़ अंकिता भूमि (जो कि जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है) जिस पर रा0इ0सू0प्रौ0सं0 (NIELIT) गोरखपुर का कब्जा है, को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के आदेशोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। साथ ही प्रबन्ध बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि रा0इ0सू0प्रौ0सं0 (NIELIT) गोरखपुर द्वारा विश्वविद्यालय के परिसर में एम0टेक0 कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि विश्वविद्यालय हित में नहीं है तथा इस कोर्स को बन्द करने की कार्यवाही की जाय।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कुलपति प्रो0 श्री निवास सिंह के लगभग 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय में हुये प्रगतिशील कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये प्रो0 श्री निवास सिंह को इन उपलब्धियों हेतु आभार व्यक्त किया गया तथा तीन माह के कार्यकाल विस्तारण के लिए बधाई दी गयी।


बैठक अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापनोपरान्त समाप्त हुयी।

  
26/06/2020  
( प्रो0 जीऊत सिंह )

सचिव

कुलसचिव, म0मो0मा0प्रौ0वि0, गोरखपुर

अनुमोदित

  
( प्रो0 श्री निवास सिंह ) 26.06.2020

अध्यक्ष

कुलपति, म0मो0मा0प्रौ0वि0, गोरखपुर